कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जालोर (राजस्थान)

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III भर्ती वर्ष 2016 के क्रम में श्रीमान निदेशक मा.शि.राज.बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/पु.अ.ग्रेड–III/सी.भ./2016 दिनांक 27.11.2017 द्वारा प्रदत्त निर्देश एवं शर्तो अनुसार संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III पद पर वेतन श्रृंखला पी.बी. 2 (9300-34800) ग्रेड पे 3600/- में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में **02 वर्ष के प्रोबेशन** पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विधालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता हैं। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ. 12 (6) एफ.डी.नियम/05 दिनांक 13-03-2006 एवं एफ.15(1)एफडी/ रूल्स/2017/ जयपुर दि. 30-10-2017 के रूल्स 16 शेडयूल IV के प्रावधानानुसार वेतन लेवल–10 में **नियत मानदेय रू. 23700/–**(अक्षरे तेईस हजार सात सौ रूपये) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन, नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांकः प.8 (1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.03.2006 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत होगी एवं वित्त विभाग के आदेश एफ.15(1)एफडी/ रूल्स/2017/ जयपुर दि. 30-10-2017 के रूल्स 16 के तहत **नियुक्ति तिथि से नियमानुसार पेंशन अंशदान कटौती होगी।**

सम्बंधित संस्था प्रधान को इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगें:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें । सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरित टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावें । पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगें, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08-04-2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01-06-2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें ।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की वैद्यता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्ययधीन प्रदान की जा रही हैं। नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थियों से 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगें।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

......2/....

5. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार प्रमाण पत्र जो विवाह के पश्चात का बना हुआ है प्रस्तुत करे, तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जाए।
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **23-12-2017** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्यत होगा । उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाऐं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों की उक्त नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8555/2017, 11523/2017, 10421/2017 एवं विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्ययधीन रहेगी ।

(ललित शंकर आमेटा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, जालोर

क्रमांकः जिशिअ/मा/जा/संस्था–अ/पु.अ. ग्रेड–III/2017/**1255** दिनांक **03-12-2017**

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
6. उपनिदेशक, माध्यमिक, शिक्षा विभाग, पाली
7. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. जालोर
8. सम्बंधित संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/ बालिका....................
9. सम्बंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा
11. रक्षित पंत्रावली ।

03/12/2017
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, जालोर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक,जालोर

क्रमांकः जिशिअ/मा/जा/संस्था–अ/पु.अ. ग्रेड–III/17/1255   दिनांकः– 03.12.2017

क्र.सं.	वरीयता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	स्थाई पता	वर्ग	जन्म तिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	187	RUCHI JAIN	RAJKUMAR JAIN	जैन बडा मंदिर के पास केसली जिला सागर म.प्र.	GEN	28.04.1992	GENF	राबाउमावि जालोर
2	48	JALA RAM	BHEEKHA RAM	ग्रा.पो. सेवडी तह. बागोडा जिला जालोर	OBC	15.05.1996	GENM	आदर्श राउमावि सुराणा (सायला)
3	193	SHIV DATT	SHARAVAN KUMAR	चक 2 जीडीएसएम, पो. गोविन्दसर, तह. सूरतगढ, वाया श्री विजय नगर, जिला श्रीगंगानगर	OBC	10.01.1991	GENM	आदर्श राउमावि उम्मेदाबाद (सायला)
4	202	TILOKA RAM	JHALA RAM	मु.पो. भागलभीम तह. भीनमाल जिला–जालोर	OBC	10.05.1992	OBCM	राउमावि झाब (चितलवाना)
5	286	HARI RAM	PANCHA RAM	गांव– वाडा नया, पो. भाडवी तह. बागोडा जिला–जालोर	OBC	10.08.1986	OBCM	आदर्श राउमावि सरनाऊ (सांचोर)
6	701	OM PRAKASH BUNKAR	GENDA RAM BUNKAR	बी–73, विराट नगर, उदासर रोड बीकानेर	SC	12.07.1975	SCM	आदर्श राउमावि सेसावा (चितलवाना)

03/12/2017

(ललित शंकर आमेटा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक,जालोर